संख्या-2023/ 001-3143422023

प्रेषक,

राजेश कुमार-।।
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश शासन।

**खेल अनुभाग** **लखनऊ : दिनांक 01/11/2023**

विषयः- **जनपद कानपुर देहात के स्पोर्टस स्टेडियम में टूटी हुई बाउण्ड्रीवाल के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-782/नि0 कानपुर देहात स्टे0 पत्रा0/2023-24, दिनांक 29.09.2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कानपुर देहात के स्पोर्टस स्टेडियम में टूटी हुई बाउण्ड्रीवाल के जीर्णोद्धार कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 द्वारा प्रस्तुत आगणन रू0 89.37 लाख का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण करते हुए जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) से कराते हुए उपलब्ध कराये गये आंकलित लागत रू0 87.62 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष- 2023-24 के बजट में अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-06-प्रदेश में खेल अवस्थापनाओं का विकास एवं उन्नयन/नव निर्माण-24 वृहत् निर्माण कार्य '' मद में व्यवस्थित धनराशि रू0 11671.98 में से प्रायोजना हेतु सम्पूर्ण धनराशि रू0 87,62,000 ( रुपये सत्तासी लाख बासठ हजार मात्र ) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

**नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों**

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 87,62,000 ( रुपये सत्तासी लाख बासठ हजार मात्र ) निदेशक खेल द्वारा कोषागार से आहरित कर वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17.03.2023 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 को आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत दी जा रही है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(3) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) प्रायोजना प्रस्ताव का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी जनपदीय अनुसूची दर वर्ष 2022 एवं डी0एस0आर0-2021 के आधार पर प्रस्तावित की गयी है तथा जो दरें इसमें उपलब्ध नहीं है, उन्हें बाजार दरों/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है।

(5) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो तथा जी0एस0टी0 का भुगतान वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत को अनुमोदित किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, खेल का होगा।

(7) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।

(8) प्राविधानों को यथावत मानते हुये प्रायोजना का परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, खेल यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कार्य पूर्व में न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(10) जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था का होगा।

(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(13) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था की होगी तथा निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये तथा भविष्य में प्रयोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 87,62,000 ( रुपये सतासी लाख बासठ हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 022 लेखा शीर्षक 4202038000600 प्रदेश में खेल अवस्थापनाओं का विकास एवं उन्नयन / नव निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेश कुमार-।।
विशेष सचिव ।

संख्या-2023/001-3143422023, तद्दिनांक।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

1- महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
5- क्रीड़ाधिकारी, कानपुर देहात।
6- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,
राजेश कुमार-।।
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।